


श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0



R5234-II116

Rs. 30/-

जगलाल तनय बबनूराम शर्मा, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम गदसा, थाना माडा  
तह0 व जिला सिंगरौली म0प्र0

अपीलार्थी

बनाम्

स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश

श्री. भवानी कुमारी खोती एड  
द्वारा आज दिनांक 24-5-16 के  
प्रस्तुत किया गया।

रीडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर सिंगरौली के  
प्र.क.43/निगरानी/09-2010 में पारित ओदश  
दिनांक 17.09.2010

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959ई

मान्यवर

प्रकरण के तथ्य :-

यह कि भूमि खसरा नं0 पुराना 14 रकवा 1.011, 100 रकवा 0.607  
हे0 जो वर्ष 75-75 से बतौर अतिक्रमक के हैसियत से मकान कूप निर्माण  
कर व बादित भूमियो की सुधार कर काबिज दाखिल था जिसे राजस्व  
म0प्र0 पुस्तक परित्र के खण्ड चार भाग तीन के अंतर्गत नायब तहसीलदार  
ने प्रकरण क्रमांक 965/अ-19(4)/80-81 को भूमिस्वामी अधिकारो की  
मंजूरी के लिए पट्टा जारी किया तब से लेकर आज तक काबिज दाखिल  
होकर कास्त करते चले आ रहे है जिस पर आवेदक ने बैंक से कर्ज  
लेकर कूप का निर्माण कराया तथा मोटर पम्प का कनेक्शन लेकर वादित  
भूमियो में ऋण व पूंजी लगाकर उपजाऊ एवं सुधार युक्त बनाया है  
तहसीलदार के व्यवस्थापन ओदश की भू-अभिलेखो में प्रविष्टि भी की गई  
थी तथा 1984 में बंदोबस्त सर्वेक्षण काल में अधिकार अभिलेख तैयारी के  
वक्त आवेदक को नगरीय तथा नगोस्तर क्षेत्रो के लिए अधिकार अभिलेख

M



Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5234-II/2016

जिला-सिंगरौली

जगलाल शर्मा/म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 43/निग0/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">               (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	